उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल
डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड

upsidc

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स
A-1/4, लखनपुर
पोस्ट बाक्स नं० 1050
कानपुर – 208 024
दूरभाष : 2582851-53 (PBX)
फैक्स : (0512) 2580797
वेबसाइट: www.upsidc.com
ई मेल : feedback@upsidc.com

संदर्भ संख्या /एसआईडीसी/ दिनांक

–: कार्यालय आदेश :–

निगम के निदेशक मण्डल की दिनांक 02.01.17 को आहूत 294वीं बैठक में उप–विभाजित भूखण्डों के विकास/विपणन हेतु निर्धारित अवधि की समाप्ति पर समय विस्तारण शुल्क की देयता के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट में अंकित प्रस्ताव पर चर्चा की गयी तथा पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या 821–25/एसआईडीसी/प्र0नि0 कैम्प दिनांक 17.02.2016 में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :–

"जिन भूखण्डों में उप–विभाजन उपरान्त विपणन हेतु अवधि 02 वर्ष है उनमें तीसरे, चौथे, पॉचवे, छठे, सातवें, आठवें एवं नवें वर्ष क्रमशः समय विस्तारण शुल्क के स्थान पर उप–विभाजन शुल्क को बढाकर प्रचलित दरों का 6 प्रतिशत 7 प्रतिशत, 8 प्रतिशत, 9 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 11 प्रतिशत, 12 प्रतिशत कर दिया जाये तथा इसकी मांग हस्तान्तरण पत्र निर्गत करते समय कर ली जाये। इसी प्रकार जिन भूखण्डों में विकास कार्य सम्मिलित है एंव उप–विभाजन उपरान्त विपणन की समय सीमा 3 वर्ष है उनमें चौथे, पॉचवे, छठे, सातवें, आठवें, नवें एवं दसवें वर्ष क्रमशः समय विस्तारण शुल्क के स्थान पर उप–विभाजन शुल्क को बढाकर प्रचलित दरों का 6 प्रतिशत, 7 प्रतिशत, 8 प्रतिशत, 9 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 11 प्रतिशत, 12 प्रतिशत किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके उपरान्त भी अपरिहार्य कारणों से उप–विभाजित भूखण्डों का विपणन न हो पाने की दशा में अतिरिक्त समय की अनुमति अत्यन्त विशिष्ट/Genuine परिस्थितियों में प्रबन्ध निदेशक द्वारा तत्समय प्रचलित दर के 12 प्रतिशत उप–विभाजन शुल्क पर दी जा सकेगी"।

एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(अमित कुमार घोष)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या 3299-3301/एसआईडीसी–आईए–Policy Vol.-16 दि0 23-02-2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव/समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, परियोजना अधिकारी, क्षेत्र प्रबन्धक उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0,
2. श्री विनोद कुमार, प्रबन्धक (कम्प्यूटर), उ0प्र0रा0औ0वि0नि0 लि0, मुख्यालय कानपुर को निगम की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
3. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0 (औ0क्षे0), मुख्यालय, कानपुर

23/2/17

(अमित कुमार घोष)
प्रबन्ध निदेशक